

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र – उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NH-130A बिलासपुर-उरगा परियोजना हेतु प्रभावित रकबा 47.602 हे. वनभूमि के विरुद्ध मरवाही वनमण्डल के अंतर्गत पेण्ड्रा परिक्षेत्र के कोड़गार परिसर के कक्ष 2355 में रकबा 95.205 हे. का चयन किया गया है, जो संरक्षित वनभूमि है। उक्त संरक्षित वन कक्ष 2355 रकबा 95.205 हे. क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वनमण्डलाधिकारी
मरवाही वनमण्डल पेण्ड्रा रोड

वृक्षारोपण क्षेत्र - उपयुक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बिलासपुर - उरगा राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या - 130A कि.मी. 0+000 से 70+200 में प्रभावित 47.552 हे. (0.771 हे. बिलासपुर , 46.781 हे. जांजगीर-चाम्पा) वनभूमि के विरुद्ध पेण्ड्रा परिक्षेत्र के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मरवाही वनमंडल में तह.- पेण्ड्रा, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के कोडगार परिसर, कक्ष क्रमांक - 2355 में कुल 95.205 हे. का चयन किया गया है | उल्लेखित क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 10/07/2020 को किया गया उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है |

- वर्ष 2017 - 2018 में कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार कूप क्रमांक-VI कक्ष क्रमांक 2355 कुल रकबा 88.110 हे. प्रस्तावित था | अतः कार्य के लिए क्षेत्र नहीं होने के कारण अपलेखन के लिए प्रस्तावित किया गया था | निरीक्षण के पश्चात् कुल 95.205 हे. रकबा का चयन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है |
- कक्ष क्रमांक - 2355 संरक्षित वन क्षेत्र है |
- प्रस्तावित क्षेत्र (कक्ष क्रमांक - 2355, कुल रकबा 95.205 हे.) समस्त प्रकार से अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है |
- वर्षा के पश्चात् क्षेत्र में छोटे खरपतवार उग जाने के कारण "Google Earth" में हरियाली ज्यादा प्रतीत हो रही है किंतु स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रस्तावित क्षेत्र में बड़े पेड़ों का घनत्व कम पाया गया तथा यह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है |


वन परिक्षेत्र अधिकारी
पेण्ड्रा. परिक्षेत्र